न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः– श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 27 / 2022

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. शिवराम पुत्र मिसराराम जाति देवासी निवासी चामड़ियाक, तह0 सोजत जिला–पाली राज0।		1. सरकार जरिए तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 1955 सपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956

उपस्थितिः–

1. **श्री धर्मीचंद देवासी अधिवक्ता वादी उपस्थित।**
2. **श्री तहसीलदार सोजत अप्रार्थी स्वयं उपस्थित।**

–: निर्णय :– दिनांक 28.04.2022

अधिवक्ता मय वादी ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956 के तहत विरूद्ध प्रतिवादी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा चामड़ियाक, पटवार हल्का रामासनी बालां, तहसील सोजत में वादी की खातेदारी सुदा, पुश्तैनी, कब्जा काश्त, मालिकाना हक की कृषि भूमि खसरा नम्बर 299 रकबा 1.1300 हैक्टर, खसरा नम्बर 491 रकबा 1.8000 हैक्टर, खसरा नम्बर 622 रकबा 1.2100 हैक्टर किस्म बा0दो0, बा0अ0 स्थित है। उक्त कृषि भूमि की जमाबन्दी संवत् 2020–34, 2042 से 2045, 2046 से 2049 में वादी का नाम शिवराम पुत्र मिसराराम दर्ज है, लेकिन जमाबन्दी चौसाला परिवर्तन करते समय पटवारी हल्का द्वारा सेवन से कम्प्युट्रीकृत करते समय सन् 2058 से 2061 में वादग्रस्त में कृषि भूमि में शिवराम के स्थान पर शिवदान पुत्र मिसराराम के नाम से खातेदारी दर्ज कर दी, जबकि सम्पूर्ण ग्राम चामड़ियाक में शिवदान नाम का कोई व्यक्ति नहीं है तथा मिसराराम के पुत्र का नाम शिवराम ही है। वादी को सम्पूर्ण ग्राम व समाज बिरादरी में भी शिवराम के नाम से ही जाना व पहिचाना जाता है, तथा ग्राम पंचायत द्वारा जारी राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, जॉब कार्ड तथा राज्य सरकार द्वारा जारी जन आधार कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड वगै0 में भी वादी का नाम शिवराम पुत्र मिसराराम ही दर्ज हैं। वादी की माता मकू देवी की दिनांक 15.05.2018 को मृत्यु हो चुकी है। आज भी राजस्व रेकर्ड में वादी की माता का नाम दर्ज है, जबकि कानूनी रूप से वादी की माता के स्थान पर भी वादी व वादी के भाई चैनाराम तथा बहिन सीता के नाम से खातेदारी दर्ज होनी चाहिए। वादग्रस्त कृषि भूमि में वादी का नाम शिवदान दर्ज होने से वादी को राज्य सरकार व केन्द्र सरकार की योजना से वंचित होना पड़ता है तथा साथ ही वादग्रस्त कृषि भूमि में वादी की माता का नाम होने से राजस्व रेकर्ड के सम्बन्ध में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार की दुविधा का निस्तारण हेतु व खातेदारी हेतु तथा वादी की माता की फौतेदगी म्यूटेशन हेतु निवेदन किया। मगर पिछले 6 माह से आश्वासन दिया जा रहा है, जिस पर दिनांक 03.02.2021 को सम्पूर्ण राजस्व रेकर्ड की नकले प्राप्त की, तथा प्रतिवादी संख्या एक के समक्ष प्रार्थना पत्र पेशकर वादी के नाम खातेदारी दर्ज करने व माता मकू देवी के स्थान पर वारिशान के नाम खातेदारी दर्ज करने का निवेदन किया गया, मगर

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

आज दिन तक किसी प्रकार की विधिक कार्यवाही नहीं की, जिससे वादी को आर्थिक व मानसिक रूप से क्षति हो रही है। बिनायदावा वादग्रस्त कृषि भूमि वादी की पुश्तैनी कृषि भूमि है, जिसमें वादी एवं उसके परिवार के सदस्य खातेदार काश्तकार है, लेकिन पटवारी हल्का द्वारा शिवराम के स्थान पर खातेदारी दर्ज करते समय शिवदान दर्ज कर दिया तथा मकु देवी के स्थान पर आज दिन तक वारिशान के नाम से खातेदारी दर्ज करने हेतु पटवारी हल्का को निवेदन करने पर भी आज दिन तक राजस्व रेकर्ड में वादी के नाम से खातेदारी दर्ज नहीं की तथा दिनांक 03.02.2021 को प्रतिवादी संख्या 1 को निवेदन करने के बावजूद भी वादी के नाम से खातेदारी दर्ज नहीं कर, वादी का गलत नाम शिवदान को दुरूस्त कर वादी का सही एवं वास्तविक नाम शिवराम दर्ज नहीं किया गया। इसलिए बिनाय दावा बमुकाम चामड़ियाक, तह0 सोजत पैदा हुआ, जो अन्दर म्याद पेश हैं। इस प्रकार अधिवक्ता मय वादी ने राजस्व वाद पत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय की जारी किये जाने की है कि वादस्थ कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में खसरा नम्बर 299 रकबा 1.1300 हैक्टर, खसरा नम्बर 491 रकबा 1.8000 हैक्टर, खसरा नम्बर 622 रकबा 1.2100 हैक्टर किस्म बा0दो0, बा0अ0 में गलत रूप से दर्ज नाम शिवदान के स्थान पर शिवराम दुरूस्त दर्ज किये जाने की घोषणा की जाकर दुरूस्त इन्द्राज किये जाने की ईश्तदुआ की है। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी जरिए सम्मन वास्ते ज0दा0 तलब किये गये। प्रतिवादी सरकार की ओर से तहसीलदार, सोजत ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर बिन्दुवार अंकित किया कि पैरा संख्या 1 में वर्णित सम्पति सरहद मौजा चामडियाक में स्थित है, पैरा संख्या 2 व 3 के सन्दर्भ में निवेदन किया कि सरहद मौजा चामडियाक के सम्वत् 2020–2034, 2042–2045, 2046–2049 में ख0नं0 299, 491, 622 में खातेदार का नाम शिवराम पुत्र मिसराराम देवासी दर्ज था जो सेवन से शिवदान दर्ज हो गया, जो संलग्न जमाबंदियो व भामाशाह कार्ड, मतदाता पहचान कार्ड सं0 RJ/21/161/156027, राशन कार्ड, आधार कार्ड सं0 892409592498 के आधार पर शिवराम पुत्र मिसराराम करने की अनुशंषा की। अन्य पैरा को कानूनी होना अंकित किया, है। सा.मि. किया गया।

बहस अधिवक्ता वादी एवं प्रतिवादी तहसीलदार सोजत सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता वादी ने व्यक्त किया कि सरहद मौजा चामडियाक खसरा नंबर 299, 491, 622 की भूमि के दस्तावेजात में वादी का नाम गलत रूप से शिवराम के स्थान पर शिवदान दर्ज कर दी गई थी। जमाबंदी सम्वत 2020 से 2034, 2042 से 2045 व 2046 से 2049 में वादी का सही नाम शिवराम पुत्र मिसराराम दर्ज है। किन्तु आगामी चौसाला 2058 से 2061 में वादी का नाम शिवराम का नाम शिवदान दर्ज कर दिया जिसे पुनः सही रूप से दुरूस्त किये जाने की ईश्तदुआ की है। जबाब बहस में तहसीलदार, सोजत ने कोई आपति नही होना जाहिर किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद पत्र मय शपथ पत्र जबाब प्रतिवादी फहरिस्त मय दस्तावेज का अध्ययन कर बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य यथा जमाबंदी सम्वत 2046 से 2049 में वादी का नाम शिवराम पि0 मिसरीया, कौम राईका सा0 देह खातेदार दर्ज सुदा है। किन्तु इसके पश्चातवर्ती जमाबंदी सम्वत् 2058 से 2061 में वादी का नाम लिपिकीय त्रुटिवश शिवराम के स्थान पर शिवदान दर्ज होने की पुष्टि होती है। लिहाजा वादी का वाद आंशिक रूप से दस्तावेजी साक्ष्यो के आधार पर स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

–: आदेश :–

अतः अधिवक्ता मय वादी द्वारा प्रस्तुत वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा चामड़ियाक, तहसील सोजत में वादी की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 299 रकबा 1.1300 हैक्टर, खसरा नम्बर 491 रकबा 1.8000 हैक्टर, खसरा नम्बर 622 रकबा 1.2100 हैक्टर कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में गलत रूप से दर्ज नाम शिवदान पुत्र मिसराराम के स्थान पर शिवराम पुत्र मिसराराम दुरूस्त दर्ज किये जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिये जाते है। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद दुरूस्त रूप से किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से मूर्तिब किया जाकर पत्रावली बद्ध किया जावें। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय व डिक्री पर्चा की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/ जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 28.04.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत

डिकी बमुकद्दमें इब्तदाई

(ओ020 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

बइजलाश श्री गोपाल जांगिड़ (आर.ए.एस.)

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. शिवराम पुत्र मिसराराम जाति देवासी निवासी चामड़ियाक, तह0 सोजत जिला–पाली राज0।		1. सरकार जरिए तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 1955 सपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956

राजस्व वाद संख्या :– 27 / 2022

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे हाजिरी अधिवक्ता वादी श्री धर्मीचन्द देवासी तथा प्रतिवादी तहसीलदार, सोजत पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा चामड़ियाक, तहसील सोजत में वादी की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 299 रकबा 1.1300 हैक्टर, खसरा नम्बर 491 रकबा 1.8000 हैक्टर, खसरा नम्बर 622 रकबा 1.2100 हैक्टर कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में गलत रूप से दर्ज नाम शिवदान पुत्र मिसराराम के स्थान पर शिवराम पुत्र मिसराराम दुरूस्त दर्ज किये जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिये जाते है। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद दुरूस्त रूप से किया जावें। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय व डिक्री पर्चा की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील / तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर / लेख्य भण्डार जमा हो।

मीजान – मुबलिग – बाबत ––

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

बशिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 28.04.2022 को जारी की गई।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत

मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प अरजीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकलतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य	मुतफर्रिक	शून्य	शून्य
मतफर्रिक	शून्य	शून्य			
मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.